3/2021/आई/79102/2021-फाईल नं0 10-22099/1392/2020-22

प्रेषक,

एस राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2021

विषयः-राज्यपाल सचिवालय में ऑनलाईन स्वीकृति प्रणाली ''ई-पेंशन सिस्टम'' को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 09.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल सचिवालय के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः सा- 3-850/दस-2014-301(18)/2013 दिनांक 18 सितम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्याः सा-3-979/दस-2014-301(18)/2013 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार ''ई-पेंशन सिस्टम'' के माध्यम से निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण ''ई-पेंशन सिस्टम'' के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे। ऐसे कार्मिक जो इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु जिनके पेंशन प्रपत्र पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी को प्रेषित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण भी ''ई-पेंशन सिस्टम'' के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे।

भवदीय,

एस राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, आडिट, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4-निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5-निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
7-संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।